(ii) Filing of prosecution cases under section 14 of the E.P.F. Act;

(iii) Filing of complaints under section 406/409 IPC in cases of non-payment of contribution deducted from the wages of the employees;

(iv) Levying damages under section 14 B of the E.P.F. Act.

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2697 **श्री शरद यादव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को दोषी तथा कितनों को निर्दोष पाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक में कार्यरत उच्च अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की अब तक जांच नहीं कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और यह शिकायत किस स्वरूप की है तथा उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधूरी योजनाएं

2698. **श्री शरद यादव :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिन्हे समय पर पूरा नहीं किया जा सका तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऊपर उल्लिखित इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय अनुसूची निर्धारित की गयी थी और इन्हें पूरा करने में वास्तव में कितना समय लगेगा ;

(ग) इन योजनाओं को समय पर पूरा न किये जाने के क्या कारण है ;

(घ) क्या उपर्युक्त योजनाओं को समय पर पूरा न किये जा सकने के कारणों में से एक कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही और अकर्मण्यता भी है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सन् 1979 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की गई थी :—

1 नवीन पद्धति योजना—79 (हुडको)

2. स्ववित्त पोषित योजना–III

3. स्ववित्त पोषित योजना–IV

4. स्ववित्त पोषित योजना–V

5. स्ववित्त पोषित योजना–VI

6. विशेष आवास योजना—82 (आर. पी. एस.—82)

7. विशेष आवास योजना—85 (आर. पी. एस.—85)

इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई थी क्योंकि किसी योजना को पूरा करना इसके आकार, भूमि की उपलब्धता, वित्त